न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 366 / 2024

अनवान : –

1. प्रभूसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शांतिदेवी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. मैनादेवी पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. विजयसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 47 / 42 1.5180 हैक्ट भूमि देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है देवीलाल पुत्र जीवणराम का देहांत हो चुका है। देवीलाल पुत्र जीवणराम के देहांत के बाद उसके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शुन्य कर लिया है।

रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101 / 95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154 / 43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक के 1 / 2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ने बंटवारा कर लिया है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा मुताबिक बंटवारा 9 केएनएन की वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं 22 जेएसएन की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण देवीलाल, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है रोही मोजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 47/42 1.5180 हैक्ट भूमि देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है देवीलाल पुत्र जीवणराम का देहांत हो चुका है। देवीलाल पुत्र जीवणराम के देहांत के बाद उसके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101/95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ने बंटवारा कर लिया है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा मुताबिक बंटवारा 9 केएनएन की वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं 22 जेएसएन की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 47/42 1.5180 हैक्ट भूमि देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101/95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है देवीलाल पुत्र जीवणराम का देहांत हो चुका है। देवीलाल पुत्र जीवणराम के देहांत के बाद उसके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101/95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ने बंटवारा कर लिया है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा मुताबिक बंटवारा 9 केएनएन की वाद भूमि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज की जावे एवं 22 जेएसएन की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक देवीलाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101/95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मोजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 47/42 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में देवीलाल पुत्र जीवणराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 366/2024
अनवान : –

1. प्रभूसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शांतिदेवी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. मैनादेवी पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. विजयसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 366 सन 2024 निर्णय दिनांक –07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/43 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 101/95 की कुल 2.1960 हैक्ट भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मोजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 47/42 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में देवीलाल पुत्र जीवणराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:25 IST
Reason: SelfAttested